न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट,सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

UPST010076412023
एफ0आर0 नम्बर 212/2023
योगेन्द्र कुमार-------------बनाम------------सोनू,

दिनांक 10.06.2026

वाद पुकारा गया, कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी योगेन्द्र कुमार द्वारा थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर में मुकदमा अपराध संख्या 102/2023, अन्तर्गत धारा 504, 366 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना की कार्यवाही की दौरान विवेचक द्वारा तमामी विवेचना बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर नामित अभियुक्त की नामजदगी गलत पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। वादी को उक्त अन्तिम आख्या के सम्बन्ध में समुचित एवं पर्याप्त नोटिस तामील कराया गया, किन्तु न तो उसकी और से कोई प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही आपत्ति दाखिल करने हेतु उसके अधिवक्ता उपस्थित आए। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत मामले की कार्यवाही जारी रखने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है। अतः अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या 01/2023 स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0)एक्ट
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

(आशुलिपिक सुधीर सिंह)